प्रकरण संख्या 22/2020 कृष्ण कान्त व अन्य बनाम वरदा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद बाबत् इन्द्राज दुरस्ती एवं तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम धोईन्दा, तहसील राजसमन्द में आराजी नंबर 2416 रकबा 2 बिस्वा किस्म आ.चा. स्थित है, जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 10 के संयुक्त खातेदारी की होकर पैत्रृक आ.चा. है, जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 10 का 1/2 हिस्सा है एवं पक्षकारान इसी अनुसार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। शुरू में उक्त आराजी में वादीगण के पिता का 1/2 हिस्सा रहा है तथा उनके देहावसान के बाद वादीगण को उक्त 1/2 हिस्सा प्राप्त हुआ है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलत से वादीगण का नाम विलोपित कर सम्पूर्ण आराजी चाह प्रतिवादी संख्या 2 से 10 के नाम दर्ज कर दी है। अतः राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती की जाकर उक्त आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा अंकित कराने का आदेश फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय दिनांक 30.06.2017 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 25.11.2020 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रितेश टुकलिया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रतीक भण्डारी उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पालीवाल उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:12:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 9 भंवरलाल के वारिस है, जिनका स्वर्गवास वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही दिनांक 10.11.2007 को हो चुका था। दिनांक 30.08.2020 को प्रतिवादीगण लडाई झगडे पर आमादा हुए, तब उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी होने पर नकल दिनांक 20.10.2020 को प्राप्त होने पर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है, जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया, चूंकि अपीलान्ट के पिता भंवरलाल की मृत्यु हो चुकी थी एवं अपीलान्टगण को उनके स्थान पर पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलान्टगण को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्व में हो चुकी हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अतः न्यायहित में प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण पर बहस करते हुए निवेदन किया कि वादीगण द्वारा अपीलान्ट के पिता भंवरलाल को प्रतिवादी संख्या 9 बनाया है, जबकि भंवरलाल का स्वर्गवास दिनांक 10.11.2007 को हो चुका था। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 6 श्रीमती केशीबाई का स्वर्गवास दिनांक 25.6.1993 को तथा प्रतिवादी संख्या 8 श्रीमती झमकुबाई का स्वर्गवास दिनांक 09.04.2015 को वाद प्रस्तुति से पूर्व ही हो चुका था। वादीगण द्वारा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया गया है, जबकि कानूनन किसी मृत व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादीगण के जो सम्मन जारी हुए हैं, वह विधिवत तामिल नहीं हुए हैं। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। [illegible] राजीनामे के आधार पर डिक्री किया गया है, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:12:39 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 14.08.2015 को प्रस्तुत किया गया है एवं अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार उनके पिता प्रतिवादी संख्या 9 भंवरलाल का स्वर्गवास दिनांक 10.11.2007, प्रतिवादी संख्या 6 श्रीमती केशीबाई का स्वर्गवास दिनांक 25.6.1993 को तथा प्रतिवादी संख्या 8 श्रीमती झमकुबाई का देहावसान दिनांक 09.04.2015 को हो चुका था। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि वाद मृत व्यक्तियों को पक्षकार बनाकर प्रस्तुत किया गया था तथा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध राजीनामे के आधार पर डिक्री जारी की गयी है, जो प्रथम दृष्टया विधि विरूद्ध है तथा अपीलान्टगण को पक्षकार नहीं बनाये जाने से उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 177/2015 में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2017 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को मृतक भंवरलाल के स्थान पर पक्षकार संस्थित कर तथा उन्हें सुनवाई का पूर्व अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.12.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 14.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:12:39 IST
Reason: SelfAttested